UPMP010026382026

न्यायालय जिला एवम सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02022**

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 906/2026

अंसार अली उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र सलीम अली निवासी मौहल्ला काजीटोला,चमनगंज थाना बेवर,जिला मैनपुरी।

–––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य –––विपक्षी/वादी

आदेश

1– प्रार्थी/अभियुक्त **अंसार अली** की ओर से यह प्रार्थना पत्र **अपराध संख्या–233/2026 अन्तर्गत धारा–352,351(3),109 BNS थाना– बेवर** जिला मैनपुरी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में यह अंकित किया गया है कि उसका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इस जमानत प्रार्थना–पत्र के अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि '' प्रार्थी/वादी मुकदमा श्यामू श्रीवास्तव पुत्र श्री विशम्भर दयाल श्रीवास्तव इटावा रोड बाईपास,काजी टोला दक्षिणी कस्बा व थाना बेवर जिला मैनपुरी का निवासी है। प्रार्थी बेवर सदर बाजार में श्याम जी हेयर सैलून नाम से दुकान का संचालन करता है। दिनांक 01–05–2026 को लगभग 10 बजे सुबह छोटू पाठक पुत्र श्री नेक्से पाठक निवासी इटावा रोड बाईपास मौहल्ला काजीटोला दक्षिणी थाना बेवर प्रार्थी की दुकान पर बाल कटवाने आये थे। उनके साथ उनका मित्र अंसार अली भी आया। उस समय दुकान पर भीड़ अधिक होने के कारण मेरे छोटे भाई लकी श्रीवास्तव द्वारा उनसे थोड़ी प्रतीक्षा करने हेतु कहा गया जिस पर छोटू पाठक एवं अंसार अली दोनों गाली गलौज करने लगे। जब छोटू पाठक को गाली देने से रोका गया तो उसने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी तथा कहा कि साले गोली मार दूंगा। सैलून नहीं चलने दूंगा तथा माँ–बहन की गालियां देने लगे। मौके पर मौजूद ग्राहकों एवम अन्य सहयोगियों द्वारा बीच–बचाव करने पर दोनों वहाँ से चले गये । थोड़ी देर पश्चात लगभग 11:30 बजे जब प्रार्थी अपनी दुकान के अन्दर खड़ा था तब उक्त छोटू पाठक अपने साथी अंसार अली के साथ मोटर साइकिल से आया। छोटू पाठक ने जान से मारने की नीयत से प्रार्थी पर फायरिंग की जिसकी गोली प्रार्थी के सिर के पास से निकल गई। प्रार्थी ने झुककर अपनी जान बचाई। फायरिंग करते समय छोटू पाठक ने गाली गलौज करते हुए धमकी दी कि दोबारा आकर जान से मार देंगे। कल का सूरज नहीं देखने देंगे और दुकान नहीं चलने देंगे। उक्त समय अंसार अली मोटर साइकिल चला

रहा था। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से भाग गये। उक्त घटना का पूरा वीडियो प्रार्थी की दुकान में लगे सी.सी.टी.वी कैमरे में रिकार्ड हुआ। छोटू पाठक एक हिस्ट्रीशीटर प्रवृत्ति का व्यक्ति है,जिससे प्रार्थी को अपनी जान माल का गंभीर खतरा है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि,'' उसे उक्त केस में पुलिस से साज करके झूठा फंसाया गया है। वह मेहनतकश व्यक्ति है,जो कस्बा बेवर में रोड के किनारे लकड़ी के खोखे में बाल काटने का कार्य करता है जिससे अपने और अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। प्रार्थी का बाल काटने का कारोबार अच्छा चलता है जिससे अन्य कटिंग सैलून वाले उससे रंजिश मानते हैं। वादी मुकदमा की हेयर कटिंग की दुकान है तथा वादी मुकदमा पूर्व से ही व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की वजह से प्रार्थी से रंजिश मानता है,इसीलिए उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया है। कथित घटना में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई चोटें नहीं आयी है जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। कथित घटना दिन के समय की बतायी जाती है। घटनास्थल बाजार भीड़ भाड़ वाला इलाका है,जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति व दुकानदार हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसी स्थिति में घटना करने के बाद भीड़ग्रस्त इलाके से अभियुक्त का निकलना मुश्किल होता है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है,जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा अपनी दुकान पर घटना के समय भीड़ अधिक होना लिखा गया है फिर भी घटना में,घटना के दौरान किसी भी व्यक्ति के कोई चोट नहीं आयी है इसलिए मामला फर्जी प्रतीत होता है। घटना के समय वादी मुकदमा पहले से ही अभियुक्तगण को जानता और पहचानता है फिर भी घटना की रिपोर्ट 36 घण्टे विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी जिसका एफ.आई.आर में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वादी मुकदमा स्वयं झगड़ालू व्यक्ति है जो आये दिन झगड़ा करता रहता है। पुलिस का आये दिन वादी मुकदमा के सैलून पर आना जाना है,इसलिए वादी मुकदमा हर किसी से छोटी मोटी बातों पर पुलिस का रौब दिखाकर झगड़ा करता है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 09–06–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त केस में अपनी जमानत देने को तैयार है तथा दौरान जमानत अवधि जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7– प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 01–05–2026 को वादी मुकदमा की दुकान पर सह अभियुक्त छोटू पाठक एवम अभियुक्त अंसार अली बाल कटवाने आये। दुकान पर भीड़ अधिक होने के कारण वादी मुकदमा के छोटे भाई लकी द्वारा थोड़ी प्रतीक्षा करने को कहा गया जिस पर अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्त द्वारा गाली गलौज की गई एवम जान से मारने की धमकी दी गयी। ग्राहकों व अन्य सहयोगियों द्वारा बीच बचाव करने पर दोनों वहाँ से चले गए थोड़ी देर पश्चात जब वादी दुकान के अन्दर खड़ा था तब अभियुक्त अन्य सह अभियुक्त के साथ मोटर साइकिल से आया । सह अभियुक्त छोटू पाठक द्वारा जान से मारने की नीयत से

वादी मुकदमा पर फायरिंग की गई जिसकी गोली उसके सिर के पास से निकल गई। उस समय अभियुक्त अंसार अली मोटर साइकिल चला रहा था। घटना दिन की तथा भीड़ग्रस्त इलाके की दर्शित की गई। प्राथमिकी में गोली सह अभियुक्त द्वारा चलाना दर्शित किया गया है। मौके से कोई गोली की बरामदगी नहीं हुई है और न ही जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी है। थाने से प्राप्त आख्या में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास दर्शित किया गया है,किन्तु दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 09–06–2026 से जेल में निरूद्ध है। वाद के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त न करते हुए,अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

अभियुक्त **अंसार अली** द्वारा योजित जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

1– अभियुक्त द्वारा मुव. 50,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के, दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनाँकः24–06–2026

(रूपेश रंजन)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.06.24 14:04:54 +0530